न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 103/2018 दायरा दिनांक : 28.06.2018

उनवान

1– राधेश्याम पुत्र बिरधा, जाति माली, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– सांवली पुत्री बिरधा, जाति माली, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– तेजमली पुत्री बिरधा, जाति माली, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रामप्रसाद पुत्र कालू, जाति माली, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– भूली पुत्री कालू, जाति माली, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 104/2018 दायरा दिनांक : 28.06.2018

उनवान

1– राधेश्याम पुत्र बिरधा, जाति माली, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– सांवली पुत्री बिरधा, जाति माली, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— तेजमली पुत्री बिरधा, जाति माली, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— रामप्रसाद पुत्र कालू, जाति माली, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— भूली पुत्री कालू, जाति माली, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.02.2019

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 152/2012 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.06.2016 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट ने अपीलांट के विरूद्ध एक दावा उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में धारा

53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपीलांट के विरूद्ध पेश किया, जिसमें ग्राम रायथल, तहसील मांगरोल की खाता संख्या नयी 417 पुरानी 374 में खसरा नम्बर 2635, 2709, 1226, 1231, 1248, 1357, 1359 कुल रकबा 1.86 हेक्टर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है तथा मौके पर बंटवारे के आधार पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है, परन्तु आराजी का बंटवारा नहीं होने से अपीलांट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन किया गया जिसमें दिनांक 10.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प रायथल में प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 को वादीगण के पक्ष में जारी कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त निर्णय कानून के खिलाफ है क्योंकि इसमें अपीलांट को सुना नहीं गया और न ही पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर खसरा नम्बर के सम्बन्ध में कब्जे की स्थिति देखी गई, मात्र फैसला करने के उद्देश्य से प्रत्येक खसरा नम्बर से आधे – आधे नम्बर की डिक्री जारी कर दी गई, जो निरस्तनीय है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक तरफा होने से अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी माह अप्रैल 2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 1231 रकबा 0.17 हेक्टर, मेरे पिता ने अपने जीवनकाल में हमे दे दी थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय एक पक्षीय किये जाने से मैं अपनी साक्ष्य, सबूत इत्यादि पेश नहीं कर सका तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी खसरा नम्बरों में आधे–आधे हिस्से का विभाजन कर दिया गया तथा कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त बंटवारा प्रस्ताव एक पक्षीय बनाया गया है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा समस्त खसरा नम्बरों का आधा–आधा हिस्सा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के पक्ष में जारी कर दिया गया है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । चूंकि समस्त खसरा नम्बरों की आराजी का रकबा बहुत कम है और यदि उन सभी का दो हिस्सों में विभाजन कर दिया जाता है तो मौके पर काश्त इत्यादि मुश्किल होगी एवं उक्तानुसार ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री भी बिना पक्षकारान की सुनवायी के पारित कर दिया गया है, जो विधि अनुकूल नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 103/2018 एवं 104/2018 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारिम्भक

डिक्री दिनांक 10.06.2016 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्राथमिक डिकी पारित करते समय यथा संभव अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के कब्जे इत्यादि का भी ध्यान रखे । तहसीलदार स्तर के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में तैयार करें एवं दोनों पक्षकारों की सुनवायी करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.04.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा